मां-बेटी पर तेजाब फेंकने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

कोर्ट की मार्मिक टिप्पणी ''तेजाब सिर्फ शरीर नहीं, सपनों और ज़िंदगी को भी जला देता है''

अजमेर, (कासं)। इंसानियत को झकझोर देने वाले एक दर्दनाक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चित्तौड़गढ़ में एक मासूम बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को अजमेर की महिला उत्पीड़न अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उत्तमा माथुर ने दोषी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास के साथ दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित करते हुए समाज को एक सख्त संदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना उस वक्त की है जब पीड़िता अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। सुबह के समय दोनों रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक के पास शौचालय की ओर जा रही थी। तभी अचानक आरोपी ने मासूम बच्ची पर तेज़ाब फेंक दिया। बेटी की चीख सुनकर जब मां उसे बचाने दौड़ी, तो दरिंदे ने उस पर भी तेज़ाब उंडेल दिया। इस निर्मम हमले ने एक बच्ची की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। एक मां की ममता और एक बेटी के सपने उसी पल जलकर राख हो गए। दर्द सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल गया।

मासूम बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया।

सजा सुनाते समय अदालत की टिप्पणी ने हर किसी को भावुक कर दिया। न्यायालय ने कहा कि तेजाब हमला केवल शरीर को नहीं झुलसाता, बल्कि पीड़ित के भविष्य, उसके सपनों और पूरे परिवार की खुशियों को भी खत्म कर देता है। यह ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर रिसता रहता है।

विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार धूत ने बताया कि आरोपी को घटना के अगले ही दिन सीसीटीवी फुटेज और अभय कमांड सेंटर की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत तरीके से प्रस्तुत करते हुए 17 गवाहों के बयान, 57 दस्तावेजी साक्ष्य और 6 महत्वपूर्ण वस्तुएं अदालत के समक्ष पेश की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को निर्देशित किया है कि उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके इलाज और पुनर्वास में मदद मिल सके।

- **अजमेर की महिला उत्पीड़न अदालत ने आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया**
- **इस निर्मम हमले ने एक बच्ची की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली थी**

मामले की त्वरित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच के लिए जीआरपी थाना चित्तौड़गढ़ के पुलिसकर्मियों, विशेषकर कांस्टेबल पवन और धूलजी की सराहना की गई। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर गवाहों को समय पर न्यायालय तक पहुंचाकर न्याय प्रक्रिया को मजबूती दी।

पशु चिकित्सकों के एन.पी.ए. पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने सरकार को मुद्दे पर पुनर्विचार करने और 12 सप्ताह में फैसला करने के निर्देश दिये

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान में कार्यरत पशु चिकित्सकों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि सरकार 12 सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय ले।

वेटनरी एसोसिएशन, राजस्थान की ओर से दायर इस याचिका में प्रारंभ में वेतनमान और अन्य सुविधाओं में समानता की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से एनपीए देने के मुद्दे पर ही जोर दिया गया। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि राज्य के पशु चिकित्सक पशुधन और वन्यजीवों की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली अन्य राज्यों के चिकित्सकों के समान है।

- **प्रदेश में कार्यरत पशु चिकित्सकों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई**

अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई स्थानों पर पशु चिकित्सकों को एनपीए दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2016 को जारी निर्देशों में भी राज्यों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया था। सातवें वेतन आयोग ने भी इस भत्ते की सिफारिश की है। राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि एनपीए देना पूरी तरह नीतिगत निर्णय है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर निर्भर करता है। यह भी कहा गया कि सभी राज्यों में यह सुविधा लागू नहीं है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू करना जरूरी नहीं है। हालांकि सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह इस विषय पर पुनः विचार करेगी।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था और केंद्र सरकार के निर्देशों को देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 12 सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय ले और यदि एनपीए देने से इनकार किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी अन्य मांगों को लेकर अलग से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

सुजानगढ़ के लोडसर गांव में अज्ञात ने विवाहिता की घर में घुसकर हत्या की

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज

सुजानगढ़, (कासं)। शहर के निकटवर्ती ग्राम लोडसर में स्थित कालवा की ढाणी में घर में सो रही विवाहिता की अज्ञात व्यक्ति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया मौके पर पहुंचे। इसके बाद चूरू जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम भी घटना स्थल पर पहुंचे। सुजानगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, वृताधिकारी दरजाराम, थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम को घटना की जानकारी दी। मृतका चंदा मेघवाल की शादी 15 वर्ष पूर्व हीरालाल मेघवाल के साथ हुई थी। मृतका के दो लड़कियां व एक पुत्र है।

- **मृतका का मोबाइल भी पुलिस को मौके पर नहीं मिला, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है**

मृतका के बच्चों ने पुलिस को बताया कि जब उनकी मां चंदा देवी कमरे में नहीं मिली तो पास के कमरे में जाके देखा तो जिस पर चंदा अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद मृतका के बच्चों ने घर के पीछे स्थित ताऊ भगवानाराम को सूचना दी। जब भगवानाराम ने अपने छोटे भाई हीरालाल की पत्नी को अचेत अवस्था में देखा तो मृतका के पिता प्रेमाराम मेघवाल व सदर थाना पुलिस को सूचना दी। चूरू से पहुंची एफएसल टीम ने मौके से फिंगर प्रिंट व अन्य साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद हारे का सहारा टीम के संयोजक श्याम सुन्दर स्वर्णकार की मदद से मृतका का शव सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

इस घटना के बाद मृतका के पिता प्रेमाराम मेघवाल निवासी सुजानगढ़ ने सदर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उनकी पुत्री चंदा की गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंटकर मृतका की हत्या की गई है। मृतका के गले पर निशान है। इसके अलावा मृतका का मोबाइल भी पुलिस को मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा।

फोटो वायरल मामले में दो बंदी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जेल में गत दिनों हुई रोजा इफ्तार पार्टी और उसके फोटो वायरल होने का मामले में पुलिस ने दो बंदियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर फिर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। बंदियों ने पूछताछ में जेल में एक बंदी द्वारा मोबाइल उपलब्ध कराने की बात की है। फिलहाल इसमें अग्रिम जांच भी जारी है। रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि जोधपुर जेल में हुई रोजा इफ्तार पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर गत दिनों वायरल हुए थे, जिसमें एक प्रकरण दर्ज कराया था। घटना के संबंध में पुलिस ने दो बंदियों उदयपुर के अंबामाता सज्जन नगर निवासी करीम खां एवं डूडी नगर ओसियां निवासी नरपत डूडी को गिरफ्तार कर लाया गया है।

नहर में मिले युवक के शव मामले में नया मोड़ आया

ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप, पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

सूरतगढ़, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र की राजकैनाल नहर में 19 मार्च को मिले युवक के शव के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पहले इसे अज्ञात शव मानते हुए मर्ग दर्ज की गई थी, लेकिन पहचान होने के बाद मृतक के पिता ने एक ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार पंजाब के मलोट निवासी 24 वर्षीय मनदीप सिंह पुत्र संतोख सिंह का शव 19 मार्च को नहर में मिला था। उस समय नहर के पास खेत में काम कर रहे एक किसान जसकरण सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी तीन एलएलपी ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई। बाद में शव की पहचान मनदीप सिंह के रूप में हुई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था, परन्तु अब मृतक के पिता संतोख सिंह पुत्र फौजासिंह निवासी गली नंबर 4, ट्रक यूनियन के पीछे, मलोट (पंजाब) ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है।

जिसमे बताया गया है कि वह मलोट के विशाल कुमार वाट्स का ट्रक चलाता है और उसका बेटा मनदीप सिंह उसी ट्रक में खलासी का काम करता था। 17 मार्च को दोनों ट्रक में धर्मकोट के पास से रेत भरकर मुक्तसर गए थे और 18 मार्च को रेत खाली कर मलोट लौट रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, मुक्तसर बाइपास पर लवप्रीत नाम का ट्रक ड्राइवर पहले से खड़ा मिला। मनदीप उससे मिलकर वापस आया और बाद में घर पहुंचने के कुछ देर बाद मोटरसाइकिल लेकर उससे मिलने चला गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने कई बार फोन किया, लेकिन कुछ समय बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। अगले दिन तलाश के दौरान मलोट में एक स्थान पर मनदीप की मोटरसाइकिल लॉक लगी अवस्था में खड़ी मिली। इसी दौरान मृतक के चाचा ने बताया कि उसने 18 मार्च की शाम करीब 5.30 से 6 बजे के बीच मनदीप को लवप्रीत के साथ उसके ट्रक में बैठे देखा था।

ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत

बीकानेर, (निसं)। शहर के जयपुर रोड पर बुधवार सुबह सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक से आमने-सामने हुई भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसा जयपुर रोड स्थित जैन ढाबा के पास हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक और स्कूटी के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और महिला दूर जा गिरी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जेएनवीसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को पीबीएम हॉस्पिटल की इमरजेंसी से मोर्चरी में भिजवाया। मृतका की पहचान सविता महावर पत्नी मनोज महावर के रूप में हुई है, जो जयपुर रोड स्थित एक कॉलोनी की निवासी थी। वह अपने काम के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

लाखों रुपए का सोना चोरी का खुलासा, गुजरात से सात बदमाश गिरफ्तार

नोखा, (निसं)। थाना पुलिस ने लाखों रुपए के रिफाइंड सोना चोरी के मामले को आठ घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने गुजरात के राजकोट से सात बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। वारदात 22 मार्च को हुई थी, जब आधा दर्जन से अधिक बदमाश एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। उगमपुरा निवासी मनोज सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिफाइंड सोना खरीदने के बहाने बदमाशों ने उनके घर से 15 से 16 तोले सोने के दो पैकेट चालाकी से चुरा लिए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पीड़ित ने घर में सोना न मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी।

- **पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर वारदात में प्रयुक्त गाड़ी जब्त की**

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा और सीओ जरनैल सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने बदमाशों को लगभग 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के राजकोट में ट्रेस किया। पुलिस ने इस मामले में विजय भाई गोहल, नरेंद्र सुका भाई, सागर राजू भाई परमार, हरेश भाई अश्विन भाई मोरी, प्रभत भाई कचरा भाई, गोविंद रमेश भाई बावड़ियां और विजय जीवन भाई सोलंकी को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने चोरी किया गया पूरा सोना बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई में गुजरात के डीसीपी राजकोट और क्राइम ब्रांच राजकोट शहर की टीम का विशेष सहयोग रहा।

हादसे में दो युवकों की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र डीजल शेड पर रात को सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका साथी घायल हो गया, जिसका एमडीएम अस्पताल में उपचार जारी है। बासनी पुलिस ने शवों को कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया। मृतक व घायल बाइक पर सवार थे और सामने लोडिंग टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। पुलिस अब गाड़ी नंबर से चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

बासनी थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि बिलाड़ा के संभाडिया स्थित चौकीदारों का बास निवासी चैनाराम पुत्र डाउराम ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि उसका पुत्र 20 वर्षीय राकेश, उसका साथी जितेंद्रराम नायक एवं महेंद्रराम अपनी बाइक पर सवार होकर बासनी डीजल शेड से निकल रहे थे। तब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने एक टाटा मैजिक लोडिंग टैक्सी के चालक ने बाइक को चपेट में ले लिया। एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो को एंबुलैंस 108 की मदद से एमडीएम अस्पताल ले जाया गया था। वहां पर दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में राकेश और जितेंद्रराम नायक की मौत हुई है। इनका तीसरा साथी महेंद्रराम घायल है जिसका उपचार चल रहा है। शवों को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

ओवरस्टे कर रही विदेशी महिला को शरण देने पर मामला दर्ज

अजमेर/ पुष्कर, (कासं)। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिले के पुष्कर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीआईडी जोन अजमेर की टीम ने ओवरस्टे कर रही थाईलैंड की महिला को शरण देने के मामले में होटल प्रबंधक और विदेशी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।

सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि पुष्कर स्थित एक होटल में एक फरवरी को थाईलैंड की नागरिक कन्याफाट नोएनहोंग ठहरी थी। होटल प्रबंधन ने उसके ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर दर्ज किया, जिससे उसके ओवरस्टे को छिपाया जा सके। जांच में सामने आया कि दर्ज किया गया वीजा नंबर किसी अन्य युगांडा नागरिक का था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि विदेशी महिला पिछले दो वर्ष से अधिक समय से भारत में अवैध रूप से रह रही थी। इस दौरान होटल प्रबंधन द्वारा उसकी वास्तविक स्थिति छिपाकर उसे शरण दी गई और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इस संबंध में पुष्कर थाने में प्रकरण दर्ज करते हुए होटल प्रबंधक और विदेशी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

- **होटल प्रबंधक और थाई नागरिक के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट में कार्रवाई की**

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हमले के दोषी को चार साल की सजा

कोटा, (निसं)। जानलेवा हमले के आठ साल से अधिक पुराने मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1 ने सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र सिंह उर्फ देवसिंह को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 23500 के अर्थदंड से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक रामदयाल शाक्यवाल ने बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को परिवादी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरकेपुरम् पुलिस को पर्चा बयान दिया। परिवादी ने बयान में कहा कि वह बोम्बे योजना में रहता है और कारिगरी का काम करता है। बबलू, सुखिया और वीरेन्द्र तीनों उसके पास आये और तीनों ने उससे अपशब्द कहते हुए वीरेन्द्र ने चाकू जैसी चीज निकालकर जान से मारने की नियत से उसकी पीठ पर वार किया और तीनों ने मारपीट की, हमले में उसके चोट लगी। पुलिस ने परिवादी के बयान पर जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में बोम्बे योजना निवासी वीरेन्द्र सिंह उर्फ देव सिंह बबलू और सुखिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में चली सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेन्द्र सिंह उर्फ देवसिंह को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

- **मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराये**

पोस्टमैन पद पर कार्यरत हरियाणा के युवक ने आत्महत्या की

मसूदा, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम बेगलियावास में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत युवक ने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार हरियाणा निवासी प्रीतम पिछले कुछ समय में बेगलियावास में कार्यरत था एवं किराए के मकान में निवास करता था। उसने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतराकर उप जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने पर मृतक के पिता वीर सिंह पुत्र लाल जी राम निवासी निवासी भाण्डोला, पुलिस थाना सतनाली, जिला महेन्द्र गढ़, हरियाणा ने पुलिस की दी रिपोर्ट में बताया कि कल सूचना मिली कि मेरा लड़का, डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। हीरालाल के मकान में किराए पर रह रहा था। उसने कल दिन में रस्सी से गले में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया।

आत्महत्या के प्रयास में युवक ने खुद का गला रेता, हालत गंभीर

युवक ने घर की दीवार पर कोयले से सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने स्वेच्छा से आत्महत्या करना बताया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर हथियार से खुद का गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक ने घर की दीवार पर कोयले से एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने स्वेच्छा से आत्महत्या करना बताया है।

जानकारी के अनुसार इंदरलाल गमेती पुत्र शांतिलाल गमेती निवासी तकियों का भीलवाड़ा, पिछले करीब डेढ़ माह से मानसिक रूप से परेशान था। बताया जा रहा है कि पूर्व में उसके पिता का निधन हो चुका था और मंगलवार को उसके बड़े पापा की मौत हो जाने से वह गहरे सदमे में आ गया। घटना के बाद युवक ने खुद को घर में बंद कर लिया और घर में रखे धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। आत्महत्या के प्रयास से पहले उसने घर की दीवार पर कोयले से सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या करना लिखा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। युवक की कहराने आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अधिक रक्तस्त्राव होने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट भी मिला है जिसके आधार पर जांच की जा रही है।

- **बताया जा रहा है कि पूर्व में उसके पिता का निधन हो चुका था, मंगलवार को बड़े पापा की मौत हो जाने से वह सदमे में आ गया था**

शादी के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा, दो महिलाएं गिरफ्तार

फर्जी शादी के बाद नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई थी दुल्हनें

हनुमानगढ़, (निसं)। शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं पूजा रानी (44) और निशा (22) को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया कस्बे की निवासी हैं। आरोप है कि इन महिलाओं ने सुनियोजित तरीके से एक युवक को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठे और बाद में नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई।

पक्का सारणा निवासी संतराम ने सदर थाना में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संतराम ने बताया कि 28 जनवरी को उसकी मुलाकात कुरशेदा नामक महिला से हुई थी। कुरशेदा ने उसे शादी करवाने का भरोसा दिलाया और बताया कि उसका परिचित सूरजपाल रिश्ते करवाता है। कुरशेदा ने संतराम की शादी एक लड़की से करवाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की मांग की थी। अगले दिन सूरजपाल और पूजा रानी एक युवती को लेकर आए और संतराम की उससे शादी करवा दी गई। आरोपियों ने इस दौरान संतराम से नकद और अन्य माध्यमों से करीब 1 लाख 27 हजार रुपए ले लिए। शादी के बाद युवती ने अपना नाम खुशप्रीत बताया और कुछ दिनों तक युवक के घर में रही। पीड़ित संतराम के अनुसार 10 फरवरी की रात युवती घर से 17 हजार रुपए नकद, सोने-चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। अगले दिन घटना का पता चलने पर संतराम ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पूजा रानी और निशा को हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चोरमार खेड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

- **गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है**